

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

क्रमांक:— एफ 1(1)(4) आप्रसआ/ सामान्य/ 2012/

३३२६-४५


जयपुर, दिनांक १.३.११

अधिसूचना

खरीफ संवत् 2069 की गिरदावरी रिपोर्ट के अनुरूप जिला कलेक्टर बाड़मेर के पत्र क्रमांक 777 दिनांक 22.02.2013 के आधार पर राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सर्वेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 3 व 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार एतद द्वारा राज्य के बाड़मेर जिले की रामसर तहसील के निम्नांकित ग्रामों को, सम्वत् 2069 के लिये अभावग्रस्त घोषित करती है एवं निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 से 10 तक के प्रावधान इन प्रभावित गांवों में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 15 जुलाई 2013 तक लागू रहेंगे:—

1. नोपाटिया
2. नई सियाई
3. लीलनगर
4. भाचसर
5. लसूआ
6. बलू का पार
7. सियाई
8. जैताणियों का पार

राज्यपाल की आज्ञा से,


(अभय कुमार)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री
2. निजी सचिव, आ.प्र. एवं सहायता मन्त्री
3. निजी सचिव/ विशिष्ट सहायक सम्बन्धित जिला प्रभारी मन्त्री, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास), जल संसाधन/ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज., जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज., जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
9. निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिव, राज., जयपुर।
10. संयुक्त सचिव (एन.डी.एम. डिवीजन) गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. संयुक्त सचिव (डी.एम. डिवीजन) कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
12. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, नई दिल्ली।
13. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
14. संबंधित सम्भागीय आयुक्त, राज.।
15. संबंधित जिला कलेक्टर, राज।।
16. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राज., जयपुर।
17. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
18. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के समस्त अधिकारीगण
19. रक्षित पत्रावली/ सांख्यिकी शाखा, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग
20. अधीक्षक, केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है। कृपया इसकी 50 प्रतियाँ इस विभाग को भिजवाये।

9/3/2017
शासन उप सचिव